फार्म बी.एम.-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग **(आयोजनागत)** वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 800 97 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-97-बाह्य सहायतित योजनायें-9701-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय- 24-अन्य व्यय	40000	40000	40000	40000	0
योग-	**40000**	**40000**	**40000**	**40000**	**0**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (आयोजनागत)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 797 04 00 3055-सड़क परिवहन-00-797-आरक्षित निधियों/जमा लेखों को अन्तरण-04-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष को अन्तरण- 48-अन्तर्लेखा संक्रमण	250000	290000	40000	40000	290000
योग -	**250000**	**290000**	**40000**	**40000**	**290000**

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

बाह्य सहायतित योजना के अनतर्गत सड़क सुरक्षा कोष से व्यय योजना हेतु राजस्व मद में रू0 400.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है। इस धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में न होने के कारण बचत संभावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

वर्ष 2014-15 में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के चालानों से प्राप्त प्रशमन शुल्क रू0 234.95 करोड़ राजकोष में जमा कराया गया। उच्चस्तरीय निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष में वाहनों के चालनों से प्राप्त प्रशमन शुल्क का 50 प्रतिशत धनराशि जमा किया जाना है, परन्तु इस योजना के अन्तर्गत शासन द्वारा मात्र रू0 25.00 करोड़ का प्रावधान है, अत: बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा कोष से व्यय मद में उपलब्ध बचत रू0 4.00 करोड़ को पुनर्विनियोग द्वारा कोष में अन्तरित किये जाने का प्रस्ताव है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-866/ई-9-यू0ओ0- 131/दस-2016, दिनॉक 31 मार्च 2016

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(सीताराम यादव)
उप सचिव
परिवहन विभाग।

(राम सुमेर)
अनु सचिव
वित्त विभाग।

संख्या-29/2016/878/तीस-3-2016-6बी/2014टीसी, दिनॉक 31 मार्च 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।